

आदेश

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित 1994) की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, रामपुर ने जिला रामपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले व्यवसायिक भवन के निर्माण कार्य को नियन्त्रित करने विषयक उपविधियों अन्तर्गत मैसर्स कान्हा स्वर्णिमा ग्राम डिबडिवा तहसील बिलासपुर रामपुर प्रबन्धक बलदेव राज के द्वारा स्वीकृति हेतु आवासीय कालोनी का मानचित्र दिनांक 13.2.2024 को प्रेषित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुये जो कि किसी विकास प्राधिकरण के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसकी अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो, में नहीं है। प्रस्तावित मानचित्र जो स्थल ग्राम डिबडिवा तहसील बिलासपुर के गाटा सं० 9,10,11,12,13,14 के 53233.12 वर्ग मी० क्षेत्रफल में आवासीय प्लानिंग एरिया 28414.61 वर्ग मी० है। इस प्रकार मानचित्र संख्या 01/वर्ष 2024-25 का निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन माननीय अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत के स्वीकृति दिनांक 26.4.2024 के क्रम में अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी के विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1- भवन मानचित्र की स्वीकृति इस शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि सिलिंग/भू-अर्जन/नजूल/ग्राम समाज सहित भू स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद विवाद पाया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रार्थी की होगी तथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

2- संकटमय स्थिति में भवन का निर्माण नहीं होगा।

3- स्वीकृत भवन में अत्याधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री का संग्रहण वितरण, उत्पादन का कार्य नहीं होगा।

4- मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उस ही प्रयोग में लाया जायेगा।

5- स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौकों पर निरीक्षण किया जा सके।

6- आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य शासकीय विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।

7- दरवाजे व खिड़कियाँ किसी भी सरकारी भूमि या सड़क की तरफ नहीं खुलेंगी।

8- पार्कों तथा खुले स्थान में मानको के अनुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।

9- स्वीकृत आवासीय भूखण्डों का वर्षा/सीवर/नाली के पानी निस्तारण मानक के अनुसार समीपवर्ती नाला/सीवर बनाकर प्रदूषण रहित करके करेंगे।

10- भवन निर्माण भूकम्परोधी मानको के अनुसार करना होगा तथा मानचित्र स्वीकृति तिथि 26.04.2024 से दिनांक 25.04.2029 तक विकास कार्य 05 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

11- कार्य स्थल पर कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

12- स्वीकृत मानचित्र के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।


13- लेवर विभाग में कार्य का पंजीकरण/लेवर सेस जमा करने का उत्तरदायित्व आवेदक/आवेदनकर्ताओं का होगा।

14- रूफटाप वाटरहारवेटिंग सिस्टम का निर्माण सभी ब्लाकों में करना अनिवार्य होगा।

15- भूखण्डों पर निर्मित होने वाले मकानों का नक्शा सम्बंधित क्रयकर्ता द्वारा प्रथम से जिला पंचायत से अनुमादित कराया जायेगा। इस शर्त के साथ-साथ नूतन भूखण्डों की नक्शिकर्मी की जाये।

अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृत हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है प्रस्तावित भवन उपयोग अनुमत्य भू-उपयोग से भिन्न है प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएँ भड़काने का स्रोत, अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त समझी जायेगी एवं किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा संकता है, अथवा सील किया जा सकता है तथा निर्माण किया गया कार्य बिना अनुमति के माना जायेगा तथा आवेदक की कीमत पर तुड़वाया जा सकता है।

इस अनुज्ञा पत्र की क्रम सं० 01 से 15 तक अंकित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उपरोक्तानुसार स्वीकृति के अनुपालन में मानचित्र निर्गत किया जाता है एवं भवन निर्माण मानचित्र की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।



अभियन्ता/प्रकारण अधिकारी 30
जिला पंचायत रामपुर
जि० ५० रामपुर

कार्यालय जिला पंचायत, रामपुर।

पत्रांक 86/जि०५०

दिनांक 26.4.2024

प्रतिलिपि : मैसर्स कान्हा स्वर्णिमा ग्राम डिबडिवा तहसील बिलासपुर रामपुर प्रबन्धक बलदेव राज को प्रेषित।


अभियन्ता/प्रकारण अधिकारी 30
जिला पंचायत रामपुर



Commencement Certificate

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is hereby certified that Project Development work of the Project Crystal Valley of M/s Kanha Swarnima Situated at Gata No. 9, 10,11,12,13 and 14 Gram Dibdiba, Bilaspur, Rampur UP has been commenced since 26-04-2024 as per the Sanction of Rampur Jila Panchayal Dated 26-04-2024.

Yours Faithfully,

Ar. Sameer kumar
Reg.- CA/2014/64667
Uttarakhand Office:- House no. 137,
Shaktivihar Colony, Rudrapur UK

